/ -

पत्रांक–01 / प्रा0आ0–02 / 2018 / 4310 / आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 11/12/18

विषयः– **PFMS प्रणाली के माध्यम से आपदा पीड़ितों के खाते में अनुग्रह अनुदान की राशि सीधे हस्तान्तरित कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा PFMS प्रणाली के माध्यम से आपदा पीड़ितों के खाते में सीधे राशि हस्तान्तरित करवाने के उद्देश्य से जिला स्तर पर "जिला आपदा राहत" के नाम से ICICI Bank में बचत खाता खोलने का निदेश दिया गया था। विभाग द्वारा प्रथम चरण में आपदा से पीड़ित परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान PFMS प्रणाली के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु नोडल बैंक ICICI Bank है।

अतएव अनुरोध है कि अपने जिले के ICICI Bank शाखा से समन्वय कर आपदा पीड़ितों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान PFMS प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके खाते में हस्तान्तरित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 4310 /आ0प्र0, पटना–15 दिनांक– 11/12/18

प्रतिलिपि–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 4310 /आ0प्र0, पटना–15 दिनांक– 11/12/18

प्रतिलिपि–Chief Manager/Relationship Manager, ICICI Bank, Patna/विभागीय बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

KYC.docx